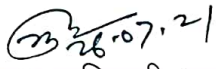
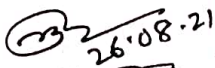
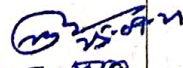
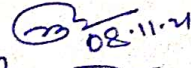


1	2	3
26.07.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अधियाची बैंक एवं देनदार अनुपस्थित है। देनदार की ओर से कोई पैरवी नहीं है। और बकाया राशि जमा करने की सूचना नहीं है। देनदार की मंशा अधियाचित राशि जमा करने की नहीं लगती है। बकाया राशि देनदार से वसूलनीय है। लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के धारा 10 के अन्तर्गत इसे संपुष्ट किया जाता है। एक मुस्त राशि वसूली हेतु देनदार को W/A निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-26.08.2021 को रखें।  नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर)।	
26.08.21	प्रशासनिक व्युत्पत्ति के कारण वाद पल अग्रिम (कार्ड) नहीं की जा सकी है। अभिलेख दिनांक 25.09.21 को रखें।  नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर)।	
25.09.21	प्रशासनिक व्युत्पत्ति के कारण वाद पल अग्रिम (कार्ड) नहीं की जा सकी। अभिलेख दिनांक 08.11.2021 को रखें।  नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर)।	
08.11.21	प्रशासनिक व्युत्पत्ति के कारण वाद पल अग्रिम (कार्ड) नहीं की जा सकी। अभिलेख दिनांक 12.12.2021 को रखें।  नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, करमाटौंड(विद्यासागर)।	